न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– भावना शर्मा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 16/15

नाथूलाल पहाडिया आत्मज दूधा, जाति खटीक, निवासी खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा

–(अप्रार्थी)

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, वादी अभिभाषक

दिनांक : 29.08.2018

निर्णय

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादी द्वारा जर्ये अभिभाषक एक वाद पेश कर निवेदन किया गया कि वादी को ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 187/275 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी द्वितीय व आराजी खसरा नम्बर 203/273 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर भूमि आवंटित हुई थी। उसके पश्चात उक्त भूमि वादी के गैरखातेदारी में दर्ज थी। सम्वत 2054 से 57 में वादी का नाम गैरखातेदारी में दर्ज था। उक्त भूमि वादी के गैरखातेदारी में दर्ज होने के पश्चात उक्त भूमि को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा बिना पक्षकारान की सुनवाई किये हुये व बिना वादी को सूचित किये हुये उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दिया है और उसके पश्चात उक्त भूमि पर नगर विकास न्यास कोटा के खातेदारी में दर्ज की गई है जबकि उक्त भूमि पर वादी काबिज है। उक्त भूमि वादी के गैरखातेदारी में दर्ज होने के बावजूद भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये हुये उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार तहसीलदार लाडपुरा को नहीं है और उक्त भूमि को नगर विकास न्यास के खातेदारी में दर्ज किये जाने का भी कोई वैधिक अधिकार नहीं है।

वादी के गैरखातेदारी में होने के पश्चात उक्त भूमि तहसीलदार लाडपुरा के खातेदारी में दर्ज कर उक्त उसी भूमि को नगर विकास न्यास, कोटाके खातेदारी में दर्ज किये जाने में दुरूस्तीकरण कर व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय हाजा में पेश करने के लिये आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 187/275 रकबा 0.20 हैक्टर बारानी द्वितीय व आराजी खसरा नम्बर 203/273 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टर हाल पटवार हल्का आलनिया, ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा,

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

जिला कोटा पर वादी को गैरखातेदारी दर्ज किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशन देने की कृपा करें। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2054–2057, 2070–2073, मिलान क्षैत्रफल व खसरा गिरदावरी की फोटोप्रति पेश की गई है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलवी उपरान्त भी कोई जवाब साक्ष्य आदि पेश नहीं किये जाने पर न्यायालय के स्तर से भी भूस्वामी तहसीलदार को पत्र द्वारा जवाब, साक्ष्य, रिपोर्ट आदि पेश किये जाने हेतु न्यायालय पत्रांक 766 दिनांक 28.03.2017 से लिखे जाने के बावजूद भी जबाव पेश नहीं किया गया, फलस्वरूप जवाब दावा बन्द किया गया। प्रकरण के बहस में आने पर वादी वकील वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पूर्व में वादी के गैरखातेदारी में दर्ज विवादित आराजी को नगर विकास न्यास के खाते से हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किया जावे।

हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, तो हम पाते है कि वादी द्वारा विवादित आराजी आवंटित होना बताया है जबकि आवंटन की तिथि/स्थान, खसरा नम्बर व रकबा आदि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किये गये है। वादी द्वारा संवत 2054–2057 में विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज होने के आधार पर वाद पेश किया गया है जबकि केवल जमाबन्दी में अंकित नाम के आधार पर वादी किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम आने सम्बन्धी नामान्तरकरण पंजिका की प्रति भी संलग्न नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा संवत 2054–2057 के बाद का ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया जिसमें उसका नाम दर्ज हो। साथ ही वादी द्वारा संवत 2054–2057 अथवा इसके बाद की किसी भी अवधि में अपने कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर कब्जे के अभाव में वादी को गैरखातेदार/खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। किस इंतकाल से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज हुई तथा किस इंतकाल से उक्त आराजी को नगर विकास न्यास के खाते दर्ज किया गया, इसके सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी, विवादित आराजी के आवंटन व कब्जे के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

(भावना शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – भावना शर्मा, R.A.S.

बउनवान :–

नाथूलाल पहाडिया आत्मज दूधा, जाति खटीक, निवासी खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2. नगर विकास न्यास, कोटा

–(अप्रार्थी)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 16 / 15
निर्णय दिनांक : 29-08-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की उपस्थिति में वाद पत्र की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 29–08–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना शर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी, विवादित आराजी के आवंटन व कब्जे के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 29.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(भावना शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		